

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धनराज पुत्र श्री पुसाराम जी जाति सोनी निवासी 7, रघुनाथ मार्केट, सोमनाथ रोड़, पाली (राज.) 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :- 47/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/106 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>25/3/22</p>	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांट उपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 27.12.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट ने जरिये पत्रांक/आरटीआई/2022/17 दिनांक 02.03.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संदर्भ में अपीलार्थी को उनके पत्रांक/आरटीआई/2022/03 दिनांक 20.01.2022 के निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा आदिनांक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रोहट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तथा न ही कोई पत्र अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त हुआ है। अतः निवेदन है कि वांछित सूचना निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध करवावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रोहट ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संदर्भ में अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था परन्तु अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। परन्तु इसके विपरीत अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रोहट द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाया जाना बताते हुए लोक सूचना अधिकारी से कोई पत्र प्राप्त नहीं होना बताया। अतः अपीलांट द्वारा वांछित देय सूचना के संबंध में तहसीलदार रोहट को नियमानुसार आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रोहट को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। निर्णय आज दिनांक 25/3/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्दा दाखिल दफ्तर हो। <p>(नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	